आखिरी जांच: 6 अक्टूबर 2026 · Department for Welfare of Differently Abled, Transgender and Senior Citizens (APDASCAC)

Sanction of Laptops

आंध्र प्रदेश दिव्यांग विद्यार्थियों को, जो स्नातक या उससे ऊपर, या ITI और पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, APDASCAC निगम के माध्यम से लैपटॉप स्वीकृत करता है।

क्या मिल सकता है

पात्र विद्यार्थी को एक लैपटॉप स्वीकृत किया जाता है, और यह मदद जीवन में केवल एक बार दी जाती है।

किसके लिए है

40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी, जो स्नातक या उससे ऊपर के कोर्स या ITI और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं और जिनके परिवार की सालाना आय Rs 3 लाख तक है।

मुख्य शर्तें

- विद्यार्थी नियमित रूप से स्नातक या उससे ऊपर के कोर्स, या ITI या पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा में पढ़ रहा हो।
- परिवार की सालाना आय Rs 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
- दिव्यांगता RPwD अधिनियम, 2016 के अनुसार 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- लैपटॉप जीवन में केवल एक बार स्वीकृत होता है।

दस्तावेज़

- दिव्यांगता प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- SSC प्रमाणपत्र
- SC, ST या BC आवेदकों के लिए जाति प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- नवीनतम आय प्रमाणपत्र या BPL राशन कार्ड
- संस्था से बोनाफाइड प्रमाणपत्र

आवेदन कैसे करें

1. APDASCAC की वेबसाइट पर लैपटॉप योजना के पेज के Apply Now बटन से लैपटॉप का आवेदन फ़ॉर्म खोलें।
2. आवेदक का विवरण भरें और अपना ज़िला चुनें।
3. बताए गए दस्तावेज़ JPG, PNG या JPEG फ़ाइल में अपलोड करें, हर फ़ाइल 2 MB तक।
4. बाद में वेबसाइट के आवेदन स्थिति वाले लिंक से अपना आवेदन देखें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://apdascac.ap.gov.in/Schemes/laptops
आधिकारिक आवेदन: https://apdascac.ap.gov.in/Forms/laptops
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/andhra-pradesh/ap-apdascac-laptops/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।